संख्या-331/2025/233/22-2-2024-17(215)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री नेम सिंह फौजी, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2599/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024), दिनांक 29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध कमलेश पुत्र श्री नेम सिंह फौजी , निवासी-नगला भद्दा, थाना-कोतवाली देहात, जिला-एटा का निवासी है। जमीन देने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25-02-2009 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट, डण्डो व गला दबाकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एसटी नं0-46/2009 धारा-147,149, 302 आई0पी0सी0 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, काशीराम नगर के आदेश दिनांक 20.12.2010 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14-08-2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) जीएसटी नं0-241/2012 धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 सं0-2, कासगंज के आदेश दिनांक 02-02-2018 द्वारा 08 वर्ष 03 माह 11 दिन का कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 20.09.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह 12 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 05 माह 22 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, एटा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21-10-2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा, बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य होने, सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र नेम सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि जमीन देने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25-02-2009 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट, डण्डो व गला दबाकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों के समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश पुत्र नेम सिंह फौजी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश (बन्दी संख्या-15520) पुत्र श्री नेम सिंह फौजी, निवासी जिला-एटा की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-331/2025/233(1)/22-2-2024-17(215)/2024,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-331/2025/233/22-2-2024-17(215)/2024

दिनांकः 08 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध कमलेश पुत्र श्री नेम सिंह फौजी, निवासी-नगला भद्दा, थाना-कोतवाली देहात, जिला-एटा का निवासी है। जमीन देने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25-02-2009 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट, डण्डो व गला दबाकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एसटी नं0-46/2009 धारा-147,149, 302 आई0पी0सी0 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, काशीराम नगर के आदेश दिनांक 20.12.2010 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14-08-2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) जीएसटी नं0-241/2012 धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 सं0-2, कासगंज के आदेश दिनांक 02-02-2018 द्वारा 08 वर्ष 03 माह 11 दिन का कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 20.09.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह 12 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 05 माह 22 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, एटा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21-10-2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा, बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य होने, सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र नेम सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि जमीन देने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25-02-2009 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट, डण्डो व गला दबाकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों के समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश पुत्र नेम सिंह फौजी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।